

**वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास
केंद्र(एन.सी.सी.डी) की गतिविधियों और उपलब्धियों पर
सरकारकी समीक्षा**

ए. लेखा और स्थापना का सारांश

एन.सी.सी.डी को दिनांक 27-01-2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था और इसे सोसायटी के सदस्यों के रूप में हितधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी-भागीदारी(पी.पी.पी) मोड में संचालित करने के लिए गठित किया गया था। कैबिनेट द्वारा दिनांक 09-2-2012 को अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद, डीएसी एवं एफडब्ल्यू ने इतनी ही धनराशि का कॉर्पस स्थापित करने के लिए रु.25 करोड़ का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया, ताकि वहां से ब्याज के रूप में मिलने वाली आय, और फीस से एन.सी.सी.डी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त शुल्क और अन्य आय का उपयोग इसके प्रशासनिक, कार्मिकों और अन्य लागतों को पूरा करने में किया जाएगा, जैसा कि शासी(गवर्निंग)परिषद् द्वारा तय किया गया है। एन.सी.सी.डी का गठन इस तरह से किया गया है कि सरकार पर इसके संचालन और रखरखाव की वजह से कोई लागत नहीं आती है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य से पैनल किए गए चार्टर्ड एकाउंटेंट मेसर्स ए.पी.एन एंड एसोसिएट्स द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए खातों की लेखापरीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आय एवं व्यय लेखा का सार निम्नलिखित है :

(रु. लाख में)

मद	चालू वर्ष 2019-20	पिछला वर्ष 2018-19
ब्याज के रूप में आय	239.42	225.38
घटाएं: प्रशासनिक खर्चे	98.04	94.19
व्यय से अधिक आय	141.38	131.19
धारा 11 के तहत सकल आय के 15% की छूट	35.91	33.81
अगले 5 वर्ष में "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता" के प्रयोजनों के लिए अलग से शेष राशि(बैलेंस).	105.47	97.38
कुल	141.38	131.19

एन.सी.सी.डी कोजुलाई, 2015 में आयकर अधिनियम की धारा 12 ए के तहत "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता" के रूप में पंजीकृत किया गया था। यह इसे प्रत्येक वर्ष अपनी सकल आय के 15% के लिए आयकर से छूट प्रदान करता है। सकल आय में से शेष 85% अव्ययित धनराशि पर कर लगता है, जब तक कि अधिनियम की धारा 11(2) के तहत 5 वर्ष के भीतर भविष्य के खर्चों के लिए अलग नहीं किया जाता है। अभी तक वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु कोई आयकर देयता नहीं है। एन.सी.सी.डी कोदिनांक 01-04-2016 से कोल्ड-चेन ज्ञान प्रसार के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर सेवाकर से भी छूट दी गई थी।

श्री पी.के. स्वाई, जे.एस.(विपणन) ने दिनांक 19-4-2018 से दिनांक 16-10-2019 तक निदेशक, एन.सी.सी.डी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। श्री राजबीर सिंह, जे.एस.(एम.आई.डी.एच) ने दिनांक 17-10-2019 से निदेशक, एन.सी.सी.डी का अतिरिक्त प्रभार संभाला। कोल्ड-चेन उद्योग के एक विशेषज्ञ श्री पवनेश कोहली ने दिनांक 1.2.2014 से दिनांक 31.1.2020 तक सी.ई.ओ-एन.सी.सी.डी और मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य किया। श्री बी.एन.एस. मूर्ति, बागवानी आयुक्त ने दिनांक 28.2.2020 से सी.ई.ओ-एन.सी.सी.डी का अतिरिक्त प्रभार संभाला है।

एन.सी.सी.डी की कार्यकारी समिति(ई.सी) ने प्रारंभ में 13 कर्मचारियों की मंजूरी दी, जिसके प्रति दिनांक 31-3-2020 को 05 व्यक्ति पदस्थ थे। एन.सी.सी.डी की कार्यकारी समिति में सचिव(ए.सी एंड एफ.डब्ल्यू) की अध्यक्षता में 13 सदस्य होते हैं। शासी(गवर्निंग) परिषद् में अध्यक्ष के रूप में सचिव(ए.सी एंड एफ.डब्ल्यू) के तहत 16 सदस्य होते हैं।

बी. गतिविधियों और उपलब्धियों की समीक्षा


- एन.सी.सी.डीको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय(एम.ओ.ई.एफ एंड सी.सी)में उद्योग के प्रतिनिधियों में से एक रूप में नामित किया गया था जिसने 28 सितंबर, 2017 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन हेतु संचालन समिति को सशक्त बनाया और वर्ष 2019 में उसकी बैठकों में भाग लेना जारी रखा। एम.ओ.ई.एफ एंड सी.सीने किगाली में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन के अनुरूप इंडियन नेशनल क्लिंग प्लान(एन.सी.ए.पी) जारी किया है। एन.सी.सी.डी प्रमुख विशेषज्ञ संसाधन था और कोल्ड-चेन घटकों को अधिकृत किया।
- इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने अपने सदस्य देशों में कोल्ड-चेन कृषि जरूरतों को संबोधित करने के लिए एन.सी.सी.डी के साथ एकमात्र ज्ञान भागीदार के रूप में दिनांक

5 अगस्त, 2019 को सौर शीतलन(क्लिंग) पहल शुरू की। इस पहल में एन.सी.सी.डी द्वारा प्रचारित कम्यूनिटी क्लिंग हब की अवधारणा शामिल है।

- शेफील्ड विश्वविद्यालय ग्लोबल चैलेंजेस रिसर्च फंड द्वारा प्रायोजित अगस्त, 2019 से सितंबर, 2021 तक ट्रांसफॉर्मिंग कोल्ड फूड चेन पर शोध कर रहा है। एन.सी.सी.डी उन्हें परियोजना पर सलाह दे रहा है। परियोजना का उद्देश्य भारत में साइटों पर स्थायी कोल्ड-चेन विकास हेतु प्रदर्शन(ऊष्मायन/डेमो-हब) स्थापित करना है।
- एन.सी.डी.सी डी.ए.सी एंड एफ.डब्ल्यू में किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी समिति हेतु ज्ञान भागीदार था। यह डी.एफ.आई रिपोर्ट तैयार करने और जारी करने में निकटता से शामिल रहा है। डी.एफ.आई पर एक अधिकार प्राप्त निकाय का गठन किया गया था, जिसमें सी.ई.ओ-एन.सी.सी.डी एक सक्रिय सदस्य थे।
- कोल्ड-चेन में उत्कृष्टता हेतु सी.आई.आई-एन.सी.सी.डी अवार्ड हेतु एन.सी.सी.डी जूरी की अध्यक्षता करता है। सी.आई.आई-एन.सी.सी.डी अवार्ड के चौथे संस्करण का 20 नवंबर, 2019 को कोल्ड चेन प्रबंधन के क्षेत्र में पूर्व-प्रख्यात और उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्तिगत/संगठनों को मान्यता देने के लिए आयोजन किया गया था। एन.सी.सी.डी ने इन प्रशंसित उत्कृष्टता पुरस्कारों का समर्थन करना जारी रखा है।
- एन.सी.सी.डी.एच.बी द्वारा मांगे गए डोमेन इनपुट प्रदान कर रहा है, कोल्ड-चेन से संबंधित संसद प्रश्नों पर नियमित इनपुट और आई.सी इंटरैक्शन्स में सहयोग करता है। एन.सी.सी.डी एम.आई.डी.एच की परियोजना मूल्यांकन समिति और ए.पी.ई.डी.ए की तकनीकी समितियों में है। एन.सी.सी.डी ने मूल्य वृद्धि को कम करने के लिए कार्रवाई; वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ राउंडटेबल्स के दौरान राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति पर आपसी संवाद(इंटरैक्शंस); राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की पहचान करने में डी.ए.सी एंड एफ.डब्ल्यू को इनपुट; कोल्ड-चेन पर एम.ओ.एफ.पी.आई को इनपुट सहित प्याज निकासी और भंडारण विकल्पों पर उपभोक्ता मामले विभाग को मार्गदर्शन प्रदान किया। एन.सी.सी.डी लॉजिस्टिक्स सेक्टर कौशल परिषद(एल.एस.सी) की गवर्निंग परिषद का सदस्य है।
- एन.सी.सी.डीने प्रगति मैदान में सहकारी समितियों के माध्यम से एन.सी.डी.सी एग्रो-प्रोसेसिंग इकोसिस्टम में एक ज्ञान साझेदार के रूप में भाग लिया, जो भारत और

विदेशों में सहकारी व्यापार को बढ़ावा देता है, जिससे ग्रामीण और कृषि समृद्धि बढ़ी है। एन.सी.सी.डी ने मई, 2019 में एल.आई.एन.ए.सी में कोल्ड-चेन में एन.सी.डी.सी के अधिकारियों की क्षमता निर्माण का कार्य किया।

- वर्ष 2019-20 में, एन.सी.सी.डी ने प्रशिक्षुओं के लिए कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एल.बी.एस.एन.ए.ए) में तथा वैश्विक संसाधन संकट पर नेशनल डिफेंस कॉलेज (एन.डी.सी) में व्याख्यान दिए हैं, और यू.एन.ई.पी इनोवेशन समिट में इंटरनेशनल कूलिंग कांग्रेस हेतु व्याख्यान, डी.एफ.आई तथा कोल्ड-चेन पर एन.आई.एन.ए.सी, प्रशिक्षण सत्र में भी व्याख्यान दिए। किसान की आय बढ़ाने पर एस.बी.एस, शारदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित किया; भारत में कोल्ड-चेन क्षमता पर व्याख्यान; पूर्वोत्तर राज्यों में कोल्ड चेन के अवसरों पर जापान निवेश (ए.एस.एस.ओ.सी.एच.ए.एम) में वक्ता (स्पीकर)। एन.सी.सी.डी कई स्तरों पर क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रसार में लगा हुआ है।


परशोत्तम रूपाला
राज्य मंत्री
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली